DG-RR-3569 ADG(A)RR.2909 IG(HQ)-4647
1-8-18 1-8-18

ADG(A)

DGP
1/8

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः /XX–7–2018–01(69)2016
देहरादूनः दिनांक 31 जुलाई, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007(अधिनियम संख्याः 1 वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त निर्गत सभी विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस /अभिसूचना) के चयन, प्रोन्नति इत्यादि हेतु निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018

भाग–01 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति — 2. उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एक अधीनस्थ सेवा है; जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं — 3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–
(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक अभिप्रेत है।
(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।
(ग) **"संविधान"** से भारत का संविधान अभिप्रेत हैं।
(घ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है।
(ङ) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
(च) **"विभागाध्यक्ष"** से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(छ) **"सेवा का सदस्य"** से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
(ज) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/

IG(HQ)

ADG(A)
1/8/18

SO I/VII

AC-III/IV/गृह पुलिस

IG(HQ)
1/8/18

अभिसूचना) सेवा अभिप्रेत है।

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से 01 जुलाई से 12 मास की अवधि अभिप्रेत है।

(ट) **"चयन आयोग"** से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।

भाग–दो "संवर्ग"

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या **परिशिष्ट–1** में दी गयी है, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो :–

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किन्हीं रिक्त पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकेंगें या राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार स्थगित रख सकेंगें कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त निरीक्षक या उपनिरीक्षक के स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग– तीन "भर्ती"

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी :–

अ. **उप निरीक्षक–**

(1) चौंतीस (34) प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा ।

(2) निम्नलिखित पात्रता शर्तो को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पुरूष/महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी से तैंतीस (33) प्रतिशत संवर्गवार पदोन्नति परीक्षा द्वारा :–

(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन पुरूष/महिला आरक्षी ने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

(ग) विगत 5 वर्षों का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो एवं विगत 5 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, दंडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी उक्त

पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित किया जाता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियां मोहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जांच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा ।

(3) **निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पुरूष/महिला मुख्य आरक्षी से तैंतीस (33) प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर (संवर्गवार) पदोन्नति द्वारा :—**

(क) **ऐसे मुख्य आरक्षी पुरूष/महिला जो उपनिरीक्षक का वेतनमान प्राप्त कर चुके हों तथा मुख्य आरक्षी के पद पर प्रशिक्षण अवधि के प्रारम्भ से इस पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।**

(ख) विगत 5 वर्षो का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो एवं विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, दडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मी को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियां मोहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जांच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा ।

टिप्पणी:— उप निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप—निरीक्षकों में से सेवा अंतरण के द्वारा भरा जाएगा जिन्होने पैडागोजी (शिक्षा शास्त्र) पाठ्यक्रम व समय—समय पर सरकार द्वारा यथा विहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(ग) ज्येष्ठता के आधार पर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पुलिस महानिदेशक

उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित चयन समिति का गठन किया जायेगा:—

(1) पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी — अध्यक्ष
(2) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी — सदस्य
(3) सहायक पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी — सदस्य

चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक अधिकारी भी सम्मिलित किया जायेगा।

ब. **निरीक्षक**— उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होंगे, जिन्होने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई की तिथि तक पूर्ण कर ली हो और विगत 10 वर्षो का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो।

सीधी भर्ती में आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त नियमों तथा सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा ।

भाग—चार "अर्हताएं"

अर्हताएं

7. उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो ।

(ख) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। राजकीय सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण उत्तराखण्ड के किसी जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय में होना आवश्यक है तथा पंजीकरण कार्ड भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

शैक्षिक अर्हता

8. (क) उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।

(ग) **अधिमानी अर्हता**:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:—

(i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

9. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर क अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01

जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए:

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में अधिकतम आयु सीमा उतनी होगी जैसा विनिर्दिष्ट की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, होमगार्डस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों एवं अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायको निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त तीन वर्ष की छूट निर्धारित आयु सीमा में देय होगी।

चरित्र

10. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या नियंत्रणाधीन किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

11. विभाग के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसका एक से अधिक पति जीवित है:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

12. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी से नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो।

टिप्पणी:– चिकित्सा बोर्ड नॉक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेन्स, कलर ब्लाइंडनेश, दृष्टि दोषों जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

भाग–पांच "भर्ती प्रक्रिया"

रिक्तियों का अवधारण

13. सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगीं:–

(एक) व्यापक परिचालन वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके:

(दो) कार्यालय के सूचना–पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा:

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों अधिसूचित करके।

पृ

उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14. उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में कराई जाएगी। जिलों में शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयन समिति का गठन पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी नामित किये जायेंगें:—

(1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी — अध्यक्ष

(2) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के दो अधिकारी — सदस्य

चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का एक अधिकारी भी सम्मिलित किया जायेगा।

(1) <u>आवेदन पत्र</u>

(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक जिलों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, सम्बन्धित जानकारी होगी।

(तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा।

(चार) प्रत्येक आवेदन में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण—पत्र, होमगार्ड प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिया संलग्न की जाएगी।

(पांच) भर्ती हेतु आवेदन पत्र उत्तराखण्ड राज्य के किसी एक जिले के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीधे अथवा डाक द्वारा जमा किये जायेंगे।

(2) <u>प्रवेश पत्र</u>

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण प्रवेश पत्र जारी किये जाने से पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण—पत्र आवेदन—पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन—पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत प्रवेश पत्र पात्र अभ्यर्थियों को जारी किये जाएंगें। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र शारीरिक मानक परीक्षा के कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाना चाहिए। यदि प्रवेश पत्र परीक्षा के प्रारम्भ के एक सप्ताह पूर्व प्राप्त नही होता हैं तो अभ्यर्थी सम्बन्धित जिले के प्राधिकृत अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से या स्वयं सम्पर्क करेगा, अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देगा। जिसके उपरांत विभाग/संस्था द्वारा प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति उसे जारी की जाएगी।

(3) <u>शारीरिक मानक / दक्षता परीक्षा</u>

समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा, में सम्मिलित होंगे जिनकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–2** एवं **परिशिष्ट–3** में दी गयी हैं।

(4) <u>लिखित परीक्षा</u>

उपनियम (3) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया **परिशिष्ट–4** में दी गई है।

(5) <u>श्रेष्ठता सूची</u>

(1) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नियमों के दृष्टिगत एकीकृत श्रेणीवार मैरिट सूचियां बनाई जायेंगी तथा इसे संबंधित चयन आयोग व उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट पर भी प्रकाशित किया जायेगा।

(2) उक्त चयन हेतु कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जायेगी।

(6) <u>चिकित्सा परीक्षण</u>

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण उस प्रकार होगा जो ऐसी होगा जैसा कि **परिशिष्ट–06** में विहित है।

(7) <u>सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति निर्गत किया जाना</u>

सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार निर्गत की जायेगी।

(8) <u>परीक्षा शुल्क</u>

सीधी भर्ती में तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा समूह "ग" की अन्य परीक्षाओं हेतु निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क के अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जायेगा ।

(9) <u>नियुक्ति एवं प्रशिक्षण</u>

उप निरीक्षक पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय भेजा जायेगा।

(10) <u>चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन</u>

अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमानुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने के उपरांत ही की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के अधीन नियुक्ति की जा सकेगी। चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा ।

उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

15. उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 5–अ(2) में प्राविधानित विभागीय परीक्षा के आधार पर **परिशिष्ट–5** में दी गई रीति से की जायेगी।

निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

16. (1) नागरिक पुलिस/अभिसूचना से निरीक्षक के पद पर अनुपयुक्तों को छोडकर शत–प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की जायेगी।

(2) उप निरीक्षक ना0पु0 के पद से निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं उप निरीक्षक अभिसूचना के पद से निरीक्षक अभिसूचना के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति निम्न प्रकार से गठित होगी–

(क) पुलिस महानिदेशक —अध्यक्ष

(ख) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना —सदस्य
(पुलिस महानिरीक्षक इस समिति के सदस्य तभी होंगे जब अधिकारी अपर पुलिस महानिदेशक,अभिसूचना के पद पर कोई कार्यरत न हो)

(ग) पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक/पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्मिक —सदस्य सचिव
(पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक उसी परिस्थिति में सदस्य सचिव होंगे जब पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक के पद पर कोई अधिकारी कार्यरत न हो)

(घ) अनुसूचित जाति/जनजाति का एक अधिकारी, जो पुलिस उप महानिरीक्षक से न्यून स्तर का न हो। इन्हें पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित किया जायेगा। —सदस्य
(यदि उपरोक्तानुसार कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो तब उस परिस्थिति में शासन द्वारा इस श्रेणी का कोई अधिकारी नामित किया जायेगा)

(ड.)– प्रमुख सचिव गृह द्वारा नामित अधिकारी —सदस्य

(3) समस्त पुलिस उप–महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ कार्यरत अर्हतायें पूर्ण करने वाले उप निरीक्षकों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर ऐसे उप निरीक्षकों की सूची, जो निरीक्षक के रूप में प्रोन्नत किये जाने के लिए अर्ह हो, पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगें।

(4) नागरिक पुलिस/अभिसूचना के ऐसे उप निरीक्षकों की सूची, जिन्हे निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के विचारण हेतु अनर्ह हो, के तत्सम्बन्धी कारणों का उल्लेख करते हुए दूसरी सूची भी पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(5) प्रदेश के समस्त परिक्षेत्रों एवं इकाईयों से प्राप्त सूचियों के आधार पर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रथमतः ऐसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना, जिन्हें पदोन्नति पर विचारण हेतु उपयुक्त पाया जाय, की पृथक–पृथक ज्येष्ठता क्रम में अन्तिम सूची तैयार की जायेगी।

(6) उपलब्ध पदों के सापेक्ष अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी।

(7) पदोन्नति हेतु चयनित निरीक्षकगण पदोन्नति आदेश के दिनांक से निरीक्षक पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माने जायेंगे।

भाग छः प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण और ज्येष्ठता

प्रशिक्षण

17. (1) उप निरीक्षक के पद पर अंतिम रूप से नियुक्त अभ्यर्थी, पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर यथा विहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करेंगें। विहित प्रशिक्षण का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(2) पुलिस निरीक्षक के पद पर नियम 16 के अधीन नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा उनकी नियुक्ति के पश्चात पुलिस विवेचना के आधुनिक पहलुओं से संबन्धित पाठ्यक्रम को पूरा किया जायेगा।

सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति

18. (1) नियम 5अ(3), 5—ब, 14 एवं 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगा।

(2) नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना में परस्पर संवर्ग परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

परन्तु यह सेवा में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

परिवीक्षा

19. निरीक्षक / उपनिरीक्षक

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा की ऐसी दिनांक, जब तक अवधि बढायी गयी है, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढा सकेगा:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकेगा।

स्थायीकरण

20. निरीक्षक / उपनिरीक्षक

नियम 19 के उपनियम (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि—

(क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,
(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय और
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,

ज्येष्ठता 21. (1) निरीक्षक

(क) सेवा में, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षक की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ख) सेवा में निरीक्षक के पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें, तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी:

परन्तु किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में हो रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गई थी।

(ग) विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित नीति (पुलिस अधिष्ठान समिति) के अनुसार निर्धारित ज्येष्ठता तब तक परिवर्तित नहीं होगी जब तक कि नियम 16 के उपनियम (1) की व्यवस्थानुसार एक समान पद प्राप्त नहीं किये जा सकते।

(घ) उपरोक्त के होते हुए भी अगर ज्येष्ठता के संबंध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आता है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निवारण उपरोक्त उपनियम–(क) के अनुसार साम्यपूर्ण रीति से किया जायेगा।

(2) उप निरीक्षक

(क) सेवा में, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ख) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उप निरीक्षक एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा से चयनित उपनिरीक्षक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय चयन परीक्षा में प्राप्त अंको का 50% तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षण में प्राप्त अंको के 50% को जोडकर संवर्गवार तैयार की जायेगी।

(ग) एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे । परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से नियुक्त उप निरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) निर्धारित की जायेगी ।

(घ) उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती/पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थी की सेवा की गणना पी0टी0सी0 प्रशिक्षण अवधि के प्रारम्भ से की जायेगी।

भाग—सात—वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) सेवा के सदस्यों का वेतनमान इस नियमावली के प्रारम्भ के समय निम्न प्रकार है:—

क्र0	पदनाम	वेतनमान
(1)	निरीक्षक ना0पु0	वेतन लेवल—8 रू0 47600—151100
(2)	निरीक्षक अभिसूचना	वेतन लेवल—8 रू0 47600—151100
(3)	उपनिरीक्षक ना0पु0	वेतन लेवल—7 रू0 44900—142400
(4)	उपनिरीक्षक अभिसूचना	वेतन लेवल—7 रू0 44900—142400

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

अन्य विषयों का विनियमन

23. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

24. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन में किसी विशेष मामलों अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वे इस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त या शिथिल कर देगी, जो वह मामले में न्यायोचित व साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिये उचित समझे।

व्यावृत्ति

25. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1091) (1)/XX—7—2018—01(69)2016, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 250 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
उप सचिव

परिशिष्ट—1

{ नियम 4 देखें }

पदों के नाम	स्थायी पदों की संख्या
1. निरीक्षक नागरिक पुलिस	207
2. निरीक्षक अभिसूचना	68
3. उप निरीक्षक नागरिक पुलिस	1295
4. उप निरीक्षक अभिसूचना	267

परिशिष्ट—2

{ नियम 14(3) देखें }

सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा

उप निरीक्षक सीधी भर्ती के लिए पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हतायें निम्नवत् होंगी:—

(क)

ऊँचाई	पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
(1) सामान्य जाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	167.70 से.मी0	152 से.मी.
(2) अनुसूचित जनजाति	160 से.मी0	147 से.मी.
(3) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	162.60 से.मी.	147 से.मी.

(ख) सीने की माप (केवल पुरूषों के लिए)

	बिना फुलाये	फुलाने पर
(1) सामान्य जाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	78.8 से.मी.	83.8 से.मी.
(2) अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी (न्यूनतम फूलाव 5 से.मी. अनिवार्य है)	76.5 से.मी.	81.5 से.मी.

(ग) शारीरिक वजन — 45 कि.ग्रा. न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

(घ) शासनादेश संख्या 256/18—प्रा0शि0—2—88—20(एस0बी0)/82 दिनांक 16—01—1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है:—

देहरादूनः पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार समेत सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के सम्पूर्ण भाग नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत का सम्पूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

(ड.) स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचनापट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(च) सम्पर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या प्रति टीम 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किन्तु गठित किए गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट सकती है।

(छ) दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते है दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(ज) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के समापन होने के तत्काल बाद परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदशित किया जाएगा और यदि संभव हो तो उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाईट भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

(झ) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट—3

{ नियम 14 (3) देखें }

सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा — शारीरिक दक्षता परीक्षा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में करायी जायेगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानक निम्नवत् होंगे:—

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए

आइटम	मानक
1. क्रिकेट बाल थ्रो —	50 मीटर
2. लम्बी कूद —	13 फीट
3. चिनिंग अप —	05 बार
4. दौड़ व चाल —	05 किमी0(30 मिनट में)
5. दण्ड—बैठक —	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक

महिला अभ्यर्थियों के लिए

आइटम	मानक
1. क्रिकेट बाल थ्रो —	20 मीटर
2. लम्बी कूद —	08 फीट
3. दौड़ व चाल —	200 मीटर(40सेकेण्ड में)
4. स्किपिंग —	01 मिनट में 60 बार
5. शटल रेस (25X4मीटर) —	29 सेकेण्ड में

(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो । इस परीक्षा/परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में निर्धारित में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस महानिदेशक ऐसा कोई विनिश्चिय कर सकते है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकते है।

(ख) जहॉ कही परीक्षण, परीक्षा संचालन के पूर्व किया जाय, वहां प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम/पुलिस लाईन में सूचना पट्टों पर प्रमुखता से किया जायेगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहॉ सम्भव हो उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

(घ) दल के सदस्य जो जानबूझकर मिथ्या रिपोर्ट देंगे, दण्डित कार्यवाहियों के भागी होंगे।

(ड.) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और बोर्ड की वेब साईट पर नित्य अपलोड़ की जायेगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर

सफल अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु गठित चयन समिति संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी।

(च) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा (समाप्त होने के तत्काल पश्चात परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी का माप उल्लिखित होगा) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाईट पर नित्य अपलोड किया जायेगा।

(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परीक्षण मानकीकृत उपकरणों से किया जायेगा।

(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची की चिकित्सा परीक्षा सम्बन्धित जनपद चिकित्सालय द्वारा किया जायेगा।

परिशिष्ट—4

नियम—14(4) देखें

सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा अधिकतम 300 अंकों की होगी जो कि वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रकृति की होगी। परीक्षा का विवरण निम्नवत् है:—

(1) सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)	100 अंक	(समय 01 घण्टा प्रत्येक प्रश्न 01अंक)
(2) सामान्य ज्ञान एवं मैन्टल एप्टीट्यूड टेस्ट	200 अंक	(समय 02 घण्टा)
(क) सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण	50 प्रश्न	(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)
(ख) सामान्य जागरूकता	75 प्रश्न	(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)
(ग) गणितीय क्षमता (हाईस्कूल स्तर)	75 प्रश्न	(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)

(3) प्रत्येक गलत उत्तर के **लिए ¼ ऋणात्मक अंक प्रदान** किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका/OMR Sheet कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियों में होगी। OMR Sheet की प्रथम मूल प्रति परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था द्वारा मूल्यांकन एवं अभिलेख हेतु रखी जायेगी। OMR Sheet की दूसरी कार्बन प्रति (मय छायाप्रति) लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था की अभिरक्षा में रखी जायेंगी। OMR Sheet की तृतीय कार्बन प्रति परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। लिखित परीक्षा के पश्चात् प्रश्न पत्र की उत्तरमाला (Answer Key) संबंधित चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें मैरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

परिशिष्ट—(5)

नियम—15 देखें

उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	विषय	अधिकतम अंक
(1)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी	100 अंक
(2)	पुलिस प्रकिया	100 अंक
(3)	विधि	100 अंक

(ख)—लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रकिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रकिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 2 घन्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रकिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्यांकन पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस निमित्त गठित चयन समिति के माध्यम से कराई जायेगी। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। लिखित परीक्षा हेतु ओएमआर शीट तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा संपन्न होने के पश्चात ओएमआर शीट की मूल प्रति लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी । ओएमआर शीट की कार्बन प्रति(मय छायाप्रति) संबंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं सेनानायक की अभिरक्षा में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी । ओमआर शीट की एक कार्बन प्रति संबंधित अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा । चयन प्रकिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर (Stage) पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

(ग)—शारीरिक दक्षता परीक्षा

चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के पश्चात् पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा 35 मिनट में 05 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों द्वारा 25 मिनट में 03 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

(घ)—सेवा अभिलेख 50 अंक

(1) कोर्स 10 अंक अधिकतम

(क) 03 दिन से 07 दिन तक का कोर्स— 02 अंक
(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स 04 अंक
(ग) 15 दिन से 30 दिन तक का कोर्स 06 अंक
(घ) 01 माह से अधिक का कोर्स 08 अंक

(जिसमें बेसिक एवं रिफ्रेशर कोर्स की गणना नहीं की जायेगी)

(i)बेसिक कोर्स के अंतर्गत निम्नलिखित कोर्स रखे जायेंगे—

1—कान्स0 का आधारभूत प्रशिक्षण

2—मुख्य आरक्षी पदोन्नति कोर्स

3—ड्राईवर कोर्स, बम डिस्पोजल कोर्स, आरमोरर कोर्स, बिगुलर कोर्स, शैडो गनर कोर्स, आईटीआई—पीटीआई कोर्स, घुड़सवार पुलिस कोर्स, यातायात कोर्स, कुम्भ मेला प्रशिक्षण , सीसीटीएनएस कोर्स, आपदा कोर्स।

4—उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी ऐसे कोर्स/प्रशिक्षण जो किसी पद पर नियुक्ति हेतु किये जाने अनिवार्य हों ।

(ii)किसी तकनीकी पद जैसे बम डिस्पोजल स्क्वायड, आरमोरर, बिगुलर, चालक इत्यादि पद पर चयन होने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी द्वारा किये गये उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अंक प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार प्रदान किये जायेंगे ।

(2) **पुरस्कार/पदक—25 अंक अधिकतम (क+ख)=25 अंक**

(क) प्रत्येक नकद रिवार्ड के लिए 01 अंक (अधिकतम 10 अंक)

(ख) राष्ट्रपति का पुलिस पदक 10 अंक
प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक 10 अंक
वीरता पुलिस पदक 10 अंक
सराहनीय सेवा पुलिस पदक 08 अंक
राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक 06 अंक
मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक 06 अंक
उत्कृष्ठ सेवा सम्मान चिन्ह 04 अंक
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह 02अंक

(3) **पिछले 10 वर्ष का वार्षिक मन्तव्य— 15 अंक अधिकतम**

(क) Outstanding उत्कृष्ट/सर्वोत्कृष्ट 02 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर
(ख) Very good/Excellent/अति उत्तम /बहुत अच्छा 01 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर

(ड.) ऋणात्मक अंक

(1) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रतिकूल सत्यनिष्ठा पर प्रत्येक सत्यनिष्ठा के लिये 05 अंक की कटौती होगी।

(2) विगत 05 वर्ष से पूर्व 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 02 अंक की कटौती की जायेगी ।

(3) विगत 05 वर्षों से पूर्व के प्रत्येक दीर्घ दण्ड पर 05 अंक की कटौती होगी।

(4) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी।
(5) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षो के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

(च) चयन प्रकिया

पात्र अभ्यर्थियों में से चयन हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशानुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ कराई जायेगी, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल होंगे उन्हें उसी स्टेज पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन उक्त मानकों के अनुसार जनपद/वाहिनी प्रभारियों द्वारा स्वयं करके सेवा अभिलेखों के लिए निर्धारित अंक उन्हीं के द्वारा प्रदान किये जायेंगे, सेवा अभिलेख के जिस चार्ट में अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित अंक प्रदान किये जायेंगे, वह चार्ट समस्त अभ्यर्थियों को दिखाकर उनसे इस बात की पुष्टि कराते हुए चार्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कराये जायेंगे कि उनके सेवा अभिलेखों पर आधारित समस्त प्रविष्टियों के अंक उन्हें प्रदान कर दिये गये हैं, तदोपरान्त अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख चार्ट सम्बन्धित जनपद प्रभारियों द्वारा अपने परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं सहित उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका सेवा अभिलेखों से परीक्षण परिक्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित प्राप्त अंकों का विवरण/चार्ट(एक्सल में सेल मर्ज किये बगैर सीडी एवं हार्ड कापी सहित) चयन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। चयन समिति का गठन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधिकारी नामित किये जायेंगे:—

1—पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी	अध्यक्ष
2—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी	सदस्य
3—सहायक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी	सदस्य

चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का एक अधिकारी सम्मिलित किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार चयन समिति के सहयोगार्थ अन्य अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है ।

चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त अन्तिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष श्रेष्ठता के आधार पर रैंकर उप निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

परिशिष्ट–06

{ नियम 14 (6) देखें

<u>सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षणः–</u>

लिखित परीक्षा के उपरान्त मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बांयी आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण–अंधता/भैंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो–लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अभिसूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, को अयोग्यता माना जायेगा।

चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण	चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा परिषद द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मैनुअल के अनुसार की जायेगी। यदि चिकित्सा परिषद के सदस्य के द्वारा जानबूझकर गलत रिपोर्ट दी जायेगी तो वे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होगें।

कल्याणी

ATS. पद. सहायक पुलिस

मै० नं० 156-D